

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2021

आदेश

क्रमांक एफ 1-3/2018/रास/यू.-23. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाध्यक्ष, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, मंगला, बिलासपुर द्वारा Dr. (Col.) T.P.S. Kandra, 24, Phase 2, Shree Golden City, Jatkhedi, Hoshangabad Road, Bhopal (MP) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, मंगला, बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है.

2. Col. Kandra का कार्यकाल, उपलब्धियों तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम, परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी.

हस्ता./-

(अमृत कुमार खलखो)
राज्यपाल के सचिव.